

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

सरकार के विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 59/आ०प्र०, दिनांक- 26.11.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014 -15 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत , उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य , लघु शीर्ष -800- अन्य व्यय , उपशीर्ष -0102 - जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड - पी -2245808000102 मांग संख्या -39 , राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5332 विषय शीर्ष - 20 03 प्रशिक्षण व्यय मद में मो0-21,000/- (इक्कीस हजार) रु0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह आवंटन निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	जिला नजारत उपसमाहर्ता , मधेपुरा	-	21,000/-	21,000/-
	कुल योग	-	21,000/-	21,000/-

उपावंटन की शर्तें :-

1. उपरोक्त आवंटन आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक 4200/ आ0 प्र0 दिनांक 25-11-2014 के आलोक में मोटर बोट परिचालन के प्रशिक्षण हेतु 10 गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को दैनिक पारिश्रमिक भत्ता के रूप में भुगतये होगा ।
2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत , उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य , लघु शीर्ष -800- अन्य व्यय , उपशीर्ष -0102 - जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड - पी -2245808000102 मांग संख्या -39 , राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5332 विषय शीर्ष - 20 03 प्रशिक्षण व्यय मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उपावंटित राशि का उसी मद में व्यय किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के झापांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(Handwritten mark)

5. व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियामावली प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को 'शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2014 तक उपलब्ध करावें ।
6. उपावंटित राशि की निकासी संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के वर्गीकरण के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.15 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए ।

प्र. सामान्य
प्रकाश पदा
अ. 2

अपरा (अपरा)
आ. 0. 5. 111
आ. 0. 5. 6

03/12/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक ...552...दिनांक ..3..12..14

प्रतिलिपि : - जिला नजारत उप समाहर्ता , मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : - कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन ,

बिभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।

प्र. सामान्य
प्रकाश पदा
अ. 2

अपरा (अपरा)
आ. 0. 5. 111
आ. 0. 5. 6

03/12/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।